

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर
डॉ.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नम्बर-3 द्वितीय तल, जे.एल.एन.मार्ग जयपुर-302017
दूरभाष नम्बर-0141-2712993 Email: adpcsmsajaipur@gmail.com

क्रमांक:-जिपस/समग्र शिक्षा/जय/2025-26/As Per Rajkaj

दिनांक : As Per Rajkaj

राशि आहरण आदेश
(स्कूल कम्पोजिट ग्रांट 2025-26) प्रारम्भिक शिक्षा
जिला-कोटपूतली बहरोड़

रास्कूशिप जयपुर के दिशा-निर्देश क्रमांक 15705300 दिनांक 11.06.2025 एवं संशोधित प्रशासनिक, वित्तीय एवं आहरण स्वीकृति क्रमांक 18425723/30.10.2025 (नवीन तीन जिलों हेतु) की अनुपालना में वार्षिक योजना वर्ष 2025-26 के अनुसार जिला कोटपूतली-बहरोड़ के राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों को (पीएमश्री विद्यालयों को छोड़कर) डाईस डाटा 2023-24 में प्रविष्ट नामांकन के आधार पर स्कूल कम्पोजिट ग्रांट (CSG) राशि (50 प्रतिशत) का स्थानान्तरण सीबीईओ कार्यालय के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को राशि हस्तांतरित करने हेतु इस कार्यालय के एसएनए खाते (RJ-523) से आहरित किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

S.No	Block	Enrollment 1-30	देय राशि (10000/- रु का 50 प्रतिशत 5000/-रु. प्रति विद्यालय)	Enrollment 31-100	देय राशि (25000/- रु का 50 प्रतिशत 12500/-रु. प्रति विद्यालय)	Enrollment 101-250	देय राशि (50000/- रु का 50 प्रतिशत 25000/-रु. प्रति विद्यालय)	Total Schools	कुल देय राशि
1	KOTPUTLI	67	335000	31	387500	3	75000	101	797500
2	PAOTA	54	270000	46	575000	3	75000	103	920000
3	VIRATNAGAR (KOTPUTLI- BEHROR)	39	195000	55	687500	9	225000	103	1107500
Total		160	800000	132	1650000	15	375000	307	2825000

अक्षरे अठाईस लाख पच्चीस हजार रु. मात्र।



RajKaj Ref No.:
18953417

उक्त राशि की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की गई है –

1. सत्र 2025–26 में कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि जारी की जा रही है। यह राशि शून्य नामांकन वाले एवं मर्ज हुए विद्यालयों को देय नहीं है।
2. उक्त राशि को विद्यालयों में हस्तान्तरित की जावें। कार्य को प्राथमिकता प्रदान करें।
3. उक्त राशि का उपयोग संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिए रास्कूशिप जयपुर के दिशा–निर्देश एवं राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए किया जावें। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावें।
4. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक स्तर पर समेकित कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जावें।
5. उक्त राशि का व्यय वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2025–26 की पीएबी में स्वीकृत मद कम्पोजिट स्कूल ग्रांट–प्रारम्भिक में ही किया जावें।

(दीपक शुक्ला)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर

क्रमांक:–अजिपस/समग्र शिक्षा/जय/2025–26/As Per Rajkaj
प्रतिलिपि :-

1. लेखा/बिल शाखा स्थानीय कार्यालय।
2. रक्षित पत्रावली।

दिनांक : As Per Rajkaj

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर